

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -
33/2017/प्रार्थना पत्र

तारीख दायर
23.03.2017

तारीख फैसला
20.04.2017

उनवान

- 1- नानी पत्नि भंवरलाल कुमावत निवासी बड़ला तहसील फूलियाकलां
- 2- कैलाशी पत्नि लादू कुमावत निवासी बड़ला तहसील फूलियाकलां

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1-3 महावीर, बजरंग, केदार पिता नाथू ब्राम्हण निवासी बड़ला
- 4- कल्याण पिता गोरू मीणा निवासी बड़ला
- 5- सजना पिता गेका मीणा निवासी बड़ला
- 6- मदन पिता हजारी मीणा निवासी बड़ला
- 7- रामकिशन पिता गणेश कुमावत निवासी बड़ला

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 144 आ०न० 1928 रकबा 0.09 है०, व खाता संख्या 146 आ०न० 1924 रकबा 0.88 है०, कुल किता 02 रकबा 0.97 है० स्थित है। प्रार्थीगण की पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 सामलाती खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है व विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार



d

किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम बड़ला पटवार मण्डल बड़ला संवत् 2070 से 73 खाता संख्या 144 आ0न0 1928 रकबा 0.09 है0, व खाता संख्या 146 आ0न0 1924 रकबा 0.88 है0, कुल किता 02 रकबा 0.97 है0 का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 7 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 144 आ0न0 1928 रकबा 0.09 है0, व खाता संख्या 146 आ0न0 1924 रकबा 0.88 है0, कुल किता 02 रकबा 0.97 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन-आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 400/- (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



d
(के0आर0 खौड़)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

d

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा